



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:42252

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4701/2026

कमलेश @ अभिमन्यु

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ

.... विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अवनीश कुमार तिवारी

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय

संख्या

-

16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका याचिकाकर्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 463/2025, अंतर्गत धारा 338, 336(3), 340(2), 318(4), 319(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना संडीला, जिला हरदोई में विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें किसी गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि आवेदक बेचेलाल के पुत्र हैं और उनके पास वैध दस्तावेज हैं, फिर भी जांच अधिकारी ने ठोस सबूत जुटाए बिना ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र इसलिए दाखिल किया गया है क्योंकि आवेदक ने जांच में सहयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 7 मई 2026 से जेल में बंद हैं। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक किसी भी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, क्योंकि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक ने जांच कार्यवाही में सहयोग किया है; आवेदक 07.05.2026 से जेल में बंद है और जैसा कि जमानत आवेदन के पैराग्राफ 16 में स्पष्ट किया गया है, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति और दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान व्यापक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में आरोपित **कमलेश उर्फ अभिमन्यु** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(1) आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(2) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(3) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं सुनवाई न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा, जो कि (i) मामले की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने से संबंधित हैं; और

(4) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो सुनवाई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा। जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन पाए जाने पर विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत याचिका के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले की गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

मयंक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।